भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1878
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राजद्रोह संबंधी कानूनों का उत्सादन

†**1878. श्री तेजस्वी सूर्या:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों के तहत राजद्रोह के अपराध को उत्सादित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय न्याय संहिता के देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क में राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है।

हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 152 में एक नया अपराध शामिल किया गया है, इस धारा में निम्नलिखित प्रावधान है: -

जो कोई, प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या सकेंतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

****